न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2017/00138

अपील संख्या – 91/17

1. हल्की पुत्री बुध्दू बेवा बाबूलाल जाति माली निवासी पांडे का कुआ करौली तहसील व जिला करौली
2. भौती पुत्री बुध्दू पत्नि कमर, जाति माली निवासी पांडे का कुआ करौली तहसील व जिला करौली
3. जगनवाई पुत्र बुध्दू पत्नि हनुमत जाति माली निवासी पांडे का कुआ करौली हाल नदी बरखेडा करौली तहसील व जिला करौली
4. कमला पुत्री बुध्दू पत्नि रामस्वरूप जाति माली निवासी पांडे का कुआ करौली हालवासी बडी भावली तहसील मासलपुर जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. हरि
2. प्रहलाद पिसरान बुध्दू
3. पांची बेवा बुध्दू जातियान माली निवासीयान पांडे का कुआ करौली तहसील करौली
4. शिवचरण
5. मोहर सिह
6. भरतलाल
7. बनेसिह पिसरान सम्पू जातियान माली निवासी पांडे का कुआ करौली तहसील व जिला करौली
8. गुडडी बाई पत्नि लडडू पुत्री सम्पू जाति माली
9. शांतिबाई पत्नि चैनसुख पुत्री सम्पू निवासी पदेवान तहसील करौली जिला करौली
10. ललिता बाई पुत्री सम्पू जाति माली निवासी पांडे का कुआ करौली तहसील करौली
11. प्रेम देवी बेवा सम्पू जाति माली निवासी पांडे का कुआ तहसील करौली
12. शिवकुमार पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कालोनी करौली तहसील करौली
13. अर्जुन सिह पुत्र अतर सिह जाति राजपूत निवासी मांची तहसील करौली जिला करौली
14. श्रीमती किशन पत्नि भंवर सिह जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील व जिला करौली
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली
16. द्रोपती पुत्री बुध्दू पत्नि हल्के जाति माली निवासी वाजीदपुर तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 52/08 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 8.6.10 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रेस्पो0 श्री मुकेश कुमार शर्मा

दिनांक 19.02.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 8.6.10 न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा दावा अन्तर्गत 53 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 780,781,782,783,784,797 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा 1 विस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की तथा खसरा न0 801,802,803,822 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 18 विस्वा कस्बा करौली वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। मुताबिक बहामी बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर जोत बो रहे है। मुताबिक बाहमी बंटवारा आराजी खसरा न0 780 मे वादीगण का 1/2 तथा आराजी खसरा न0 781 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा सम्पूर्ण , इसी प्रकार प्रतिवादीगण का आराजी खसरा न0 780 मे 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 1 ता 8 का आराजी खसरा न0 782,783,784,797 सम्पूर्ण रकबा जिस पर कि प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के आधार पर काबिज काश्त कर रहे है। प्रतिवादी न0 1 ता 8 ने आराजी खसरा न0 780 मे अपना 1/2 हिस्सा मे से प्रतिवादी न0 9 ता 11 को प्लाट बेचे जिस पर वह काबिज है। प्रतिवादी न0 1 ता 8 अपने अपने काश्त की आराजी पर आबादी कायम करने हेतु प्लाट बेचना शुरू कर चुके है। इस कारण दिनांक 5.4.2008 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कागजात सरकारी मे मुताबिक कब्जा बंटवारा कर अलग अलग खातेदारी करवाने को कहा तो प्रतिवादी ने साफ कह दिया कि तुम अदालत जाकर अलग अलग खाते करवा लो हमे फुरसत नही है क्योकि आराजी खसरा न0 801,802,803,822 पूर्व मे ही हमारे तन्हा खाते मे चढ चुकी। इसी प्रकार विवादित आराजी के अतिरिक्त पुश्तैनी भूमि इस प्रकार कुल पुश्तैनी भूमि के बराबर बराबर बंटवारे हो चुके है शेष के बंटवारे की प्रतिवादीगण द्वारा अदालत जाकर बंटवारा कराने की मना करने पर दावा करना आवश्यक हुआ। अतः आराजी खसरा न0 780 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा मे वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का हिस्सा 1/2 मे प्रतिवादी न0 10 व 11 का 266.66 वर्गगज तथा खसरा न0 784 मे प्रतिवादी न0 9 का हिस्सा 120 वर्गगज एवं 782,783 का सम्पूर्ण रकबा खसरा न0 784 मे 120 वर्गगज के अतिरिक्त सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी न0 1 ता 8 अलग अलग किया जाकर इसी प्रकार सरकारी कागजात मे मुताबिक बाहमी बंटवारा वादीगण के हिस्से आराजी खसरा न0 780 का 1/2 एवं खसरा न0 781 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा सम्पूर्ण अलग किया जाकर कागजात सरकारी मे वादीगण के नाम इसी प्रकार अलग अलग किये जाकर जुदागाना जुदागाना भेज कायम की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण अर्थात वादीगण के पिता बुध्दू की पुत्रियो द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आरजीयात मे अपीलांटगण के हक एवं अधिकार निहित है। अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 16 बुध्दू पुत्र किशन माली की पुत्रियां है। यह तथ्य सभी रेस्पो0 की जानकारी व ज्ञान मे रहा है। रेस्पो0 न0 1 लगायत 3 ने अपीलांट के पिता बुध्दू के स्वर्गवासी होने के बाद राजस्व कर्मियो से मिलकर अपीलांटगण से छुपाते हुए नामा0 अकित करा लिया जबकि विधि अनुसार ऐसे नामा0 के आधार पर अपीलांटगण का हक हकूक अधिकार खातेदारी समाप्त नही होता है और ऐसे नामा0 से रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 को हम अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि मे कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिकार प्राप्त नही होता है। नामा0 संख्या 793 हक हकूक अपीलांटगण पर प्रभावहीन व शून्य है। नामा0 संख्या 1893 विधिवत रहा है। अपीलांटगण हरि,प्रहलाद के साथ 1/2 हक हिस्सा भूमि के समान हक व हिस्से के खातेदार है। अपीलांट हिन्दू है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से गर्वन है और पिता बुध्दू की भूमि मे धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी है बुध्दू के वारिस है और हमारा बूध्दू के वारिस व उत्तराधिकारी होना रेस्पो0 द्वारा भी माना है। उक्त वाद मे कोई शहादत पक्षकारो की लेखबद्व नही की गई है। बल्कि आपसी साजिश वादी व प्रतिवादीगण के इकबाली जबाब दावा स सरसरी आवेदन के आधार पर को लीन से निर्णय व डिक्री पारित की है जो कोलूसिब है और रेस्पो0 ने हम अपीलांटगण के हक हकूक मारने के लिए यह साजिश की है। इस स्थिति से निर्णय व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटगण वाद मे पक्षकार थे। अपीलांटगण को पक्षकार नही बनाये जाने के आधार पर भी निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलांट की जबाब देही व साक्ष्य रिकार्ड पर ली जाती। तब निश्चय ही निर्णय व डिक्री इस प्रकार पारित नही होते दिनांक 8.6.10 के निर्णय अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की है क्योकि प्रकरण मे बंटवारा स्कीम तलब की है। और उसके लिए तारीख पेशी 18.8.10 नियत की है। दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे दिनांक 27.12.12 के दिवस खारिज किया जाकर फैसल शुमार किया है। इस प्रकार अधिनरस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण को पक्षकार बनाये जाकर प्रकरण पुनः नियमानुसार सुनवाई का निर्णय कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है। जिससे अपीलांटगण हक हकूक खातेदारी अधिकार के अनुसार न्याय प्राप्त कर सके। उक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट की जानकारी के अभाव मे हुआ है इसलिए निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर हुई। इसलिए अपील अन्दर मियाद धारा 5 के साथ पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.10 को अपास्त किया जाकर दावे मे अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर अपीलांट की जबाब देही व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय का निर्देशित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांटगण का किसी प्रकार का कोई हक एंव अधिकार नही है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्व एवं बिना रिकार्ड के अवलोकन के पारित की है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एंव प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात रही है जिसको वादीगण अलग अलग खाता कायम कराने का अधिकारी है। जहॉ तक नामा0 संख्या 793 का प्रश्न है तो उक्त नामा0 793 दिनांक 14.6.96 के बाबत श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहॉ विचाराधीन अपील को पक्षकारान द्वारा दिनांक 18.3.16 को वरविनाय राजीनामा स्वीकार करवा जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की गई है। जिसके द्वारा नामा0 संख्या 793 दिनांक 14.6.96 को यथावत रखा गया है। अपीलांटगण द्वारा बिना किसी हक एवं अधिकार के अपील पेश की गई है। वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांटगण के किसी प्रकार के हक एवं अधिकार नही है राजस्व रिकार्ड मे अपीलांटगण का बतौर खातेदार नाम दर्ज नही है ना ही वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। बिना कब्जे एवं खातेदारी अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

के अपीलांटगण को अपील पेश करने का कोई अधिकार हासिल नही है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की इजाजत बाबत सीपीसी के प्रावधानो के अन्तर्गत धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ पेश नही किया है। इसी प्रकार अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है एवं इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब के सबंध मे अपीलांट द्वारा किसी विधिक कारण का उल्लेख नही किया गया है। जबकि बिलम्ब की अवधि के सबंध मे एक एक दिवस का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं मियाद बाहर होने के साथ साथ धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बिना ही अपील पेश की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात होने से ही वादीगण द्वारा धारा 53 आर टी एक्ट के तहत वाद पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। क्योकि अपीलांटगण को अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया था। यहॉ यह तथ्य स्पष्ट है कि यदि किसी प्रभावित पक्षकार को अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया जाता है एवं निर्णय पारित कर दिया जाता है तो प्रभावित पक्षकार को धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश करने की अनुमति लेना आवश्यक होता है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बिना ही अपील प्रस्तुत की गई है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। जहॉ तक अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री की जानकारी का प्रश्न है तो वादग्रस्त आराजीयात के बाबत स्वीकृत नामा0 संख्या 793 की अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहॉ विचाराधीन होने की जानकारी उभयपक्ष को थी जिनके द्वारा श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहॉ दिनांक 23.02.12 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण को मुकदमे की पूर्व से जानकारी थी इसके पश्चात भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.6.10 के विरूद्व लगभग 6 वर्ष पश्चात पेश की है। जिसके बिलम्ब के सबंध मे भी कोई विधिक कारण का उल्लेख धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे नही किया है। उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलांट बिना सहमति लिये अर्थात धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना के बिना ही पेश की गई है जबकि यदि अपीलांटगण अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही थे तो उनको विधिक रूप से धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश करनी चाहिए थी जो अपीलांटगण द्वारा नही की गई है साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने एवं मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन, मियाद बाहर एवं धारा 96 सीपीसी के के प्रावधानो से वाधित होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 52/08 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.6.10 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर